राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रवण बनाम मेवा

तारीख हुक्म	147/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित । अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित । उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे । अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो ।	
06/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/09/2009 पारित करते हुये वादिया के हक़ में घोषणा करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है । जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि वादिया/रेस्पो. को उनके पिता ग्यारसीलाल के हिस्से में आई भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रदान करते हुये पारित अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत एवं तथ्यों के अनुरूप पारित डिक्री है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/09/2009 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।	